प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. BHIWADI** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2023

प्र.ई.रि.सं. 262/2023 दिनांक 29.9.2023

2.–(1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारायें 13(1) (सी) (डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(क) सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारायें 409,467,468, 471,477ए व धारा 120 बी भा.दं.सं.

(3) अधिनियम.............................. धारायें..................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 486 समय 12:20 pm

(ब) अपराध के घटने का दिनः वर्ष 2014–19

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –02.11.2022

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक प्राथमिक जांच संख्या 22/2022 की जांच पर

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः दक्षिण–...................................

(ब) पताः– नगर परिषद, भिवाडी, जिला खैरथल–तिजारा।

बीट संख्या ....जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना ....जिला..........

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ)नाम :– श्री संदीप यादव, विधायक तिजारा

(ब)पिता का नाम :– ....

(स)जन्म तिथि :– ....

(द)राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः–

(ल)पताः– निवासी एम–30, गांधीनगर जयपुर।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1 श्री संदीप दायमा पुत्र श्री रतन सिंह गुर्जर, निवासी गांव मिलकपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा। तत्कालीन सभापति, नगर परिषद भिवाडी।

2 श्री राघव सिंह मीणा पुत्र तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद भिवाडी जिला खैरथल तिजारा हाल अधिशाषी अधिकारी (तृतीय) हाल निदेशालय जयपुर।

3 श्री सवाई सिंह भाटी तत्कालीन कैशियर (रोकडपाल) नगर परिषद भिवाडी जिला खैरथल तिजारा। हाल एपीओ निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर एवं अन्य।

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ....

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः–

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)...

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय,

वाक्यात इस प्रकार है कि श्रीमान निर्देशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त शिकायत द्वारा श्री संदीप यादव विधायक विधानसभा क्षेत्र तिजारा जिला अलवर में अंकित आरोपो पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 22/2022 दिनांक 02.11.2022 दर्ज कर वास्ते जांच प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जांच की गई। दौराने जांच शिकायत कर्ता श्री संदीप यादव विधायक एवं ऑडिट कर्ता सहायक लेखाधिकारियों

(9)

एवं अन्य से पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किये गये एवं नगर परिषद भिवाडी से ऑडिट रिपोर्ट एवं संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया एवं आरोपीयों से आरोपों बाबत स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये। प्राप्त रिकॉर्ड, बयानात गवाहान एवं प्राथमिक जांच पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य से निम्न आरोप पाये गयेः–

1–जांच से पाया गया है कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 2(ख) आर.एन.एस./जांच/डीएलबी/19/911 दिनांक 09.04.19 के द्वारा नगर परिषद भिवाडी द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये अंकित प्रकरणों में मिली भगत से आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी रूल्स 2013 की अवहेलना कर कूटरचित षडयंत्र के द्वारा सामग्री का क्रय/सेवाएं ली जानी दर्शाकर राजकीय धन के दुरूपयोग किये जाने की शिकायत की जांच हेतु श्रीमति रेणु खण्डेलवाल उप निदेशक क्षैत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर की अध्यक्षता में श्री शीशराम बोराण कार्यवाहक लेखाधिकारी एवं श्री शक्तिसिंह सहायक लेखाधिकारी प्रथम स्थानीय निकाय विभाग जयपुर की कमेटी का गठन किया गया उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 12.04.2019 को नगर परिषद भिवाडी में जाकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर जांच की गई जिसमें उक्त कमेटी द्वारा नगर परिषद भिवाडी में वित्तीय वर्ष 2018–19 के मध्य कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर सामग्री/सेवाओं का फर्जी तरीके से उपापन कर गम्भीर अनियमिताए की जाकर नगर परिषद भिवाडी में राजकोष को हानि पहुचाई जाना मानते हुये जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण की अविलम्ब स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के स्तर से विशेष अंकेक्षण कराने की अभिशंषा कर जांच रिपोर्ट उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 10217 दिनांक 19.06.19 से अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाई गई।

2–जांच से पाया गया है कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वितीय के श्री ओम प्रकाश नावरिया सहायक लेखाधिकारी प्रथम व श्री नन्दकिशोर बजाज कनिष्ठ लेखाकार एवं योगेन्द्र सिंह राठौड कनिष्ठ लेखाकार द्वारा नगर परिषद भिवाडी के लेखो अवधि 2018–20 का अंकेक्षण दिनांक 21.01.21 से 21.06.21 तक किया गया है जिसमें दौराने अंकेक्षण रोकडपाल/कार्मिक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग तरीको से निधियों का गबन कर नगर परिषद कोष को भारी हानि/नुकसाान पहुंचाया जाना पाया गया है जिसका मुख्य कारण कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी करना तथा रोकड बही का समुचित संधारण एवं नियंत्रण नहीं करना माना है। अंकेक्षण में पाये गये गबन/हानि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	वा.सं./दिनांक	वाऊचर का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	27/24.08.18	विकास दायमा कॉन्ट्रेक्टर (जेसीबी किराये का बिल) Ch.No. 449364(ICICI)	91600/–
2	28/29.08.18	अग्रिम राशि Ch.No. 449367(ICICI)	190000/–
3	30/29.08.18	अग्रिम राशि Ch.No. 449371(ICICI)	95000/–
4	31/30.08.18	सफाई कार्य हेतु अग्रिम Ch.No. 449372(ICICI)	65000/–
5	32/30.08.18	रोहित बुक डिपो जयपुर Ch.No. 449374(ICICI)	195000/–
6	33/30.08.18	मै. रिचा शर्मा जयपुर सफाई ठेका Ch.No. 449375(ICICI)	195000/–
7	34/31.08.18	मै. सोना एन्टरप्राइजेज जयपुर Ch.No. 449386(ICICI)	1251254/–
8	35/31.08.18	अंकुर इलेक्ट्रोनिक भिवाडी Ch.No. 449387(ICICI)	388080/–
9	36/31.08.18	स्टेशनरी कार्य हेतु अग्रिम Ch.No. 449389(ICICI)	65000/–
10	37/06.09.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449390(ICICI)	75000/–
11	38/06.09.18	मै. जाहर एन्टरप्राइसेस Ch.No. 449392(ICICI)	2499000/–
12	39/06.09.18	मै. विष्णु एन्टरप्राइसेस Ch.No. 449392(ICICI)	1975000/–
13	40/06.09.18	मै. आदित्य एन्टरप्राइसेस Ch.No. 449394(ICICI)	8570107/–
14	41/06.09.18	मै. आदित्य एन्टरप्राइसेस Ch.No. 449396(ICICI)	2005000/–
15	42/06.09.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449397(ICICI)	85000/–

16	43/07.09.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449399(ICICI)	90000/-
17	44/07.09.18	मै. प्रीतम कुमार एण्ड संस जयपुर Ch.No. 449402(ICICI)	2511050/-
18	45/10.09.18	मै.मुकेश कुमार एण्ड एन्टरप्राइजेज जयपुर Ch.No. 449403(ICICI)	1520000/-
19	46/10.09.18	मै.अलका जैदिया Ch.No. 449404(ICICI)	1450000/-
20	47/10.09.18	मै. रवि कुमार एन्टरप्राइजेज जयपुर Ch.No. 449405(ICICI)	2495500/-
21	48/10.09.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449406(ICICI)	75000/-
22	49/28.09.18	श्री आदित्य एन्टरप्राइजेज जयपुर Ch.No. 449414(ICICI)	7500000/-
23	50/28.09.18	श्री आदित्य एन्टरप्राइजेज जयपुर Ch.No. 449415(ICICI)	575000/-
		योग	3,74,31,591.00

उल्लेखित FFC रोकड बही के वाउचरों की जॉच में पाया गया कि:–

(1) समस्त बिल/वाउचर प्रमाणित नहीं है।

(2) कार्यवाही नोट शीट पर सभापति के हस्ताक्षर नहीं है। प्रिंटेड हस्ताक्षर वाली मोहर/स्टाम्प से भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की गई है। अर्थात भुगतान की कार्यवाही में सभापति को सूचित नहीं किया गया है जो कि अनियमित प्रक्रिया है।

(3) संस्था द्वारा जारी कार्यादेश में आयुक्त के हस्ताक्षर व मोहर फोटो स्टेट की तरह प्रयोग किए गए है जो अनियमित है।

(4)कार्यवाही नोटशीट पर टेण्डर किए जाने से भुगतान आदेश किए जाने तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने तिथी अंकित नहीं की है।

(5) उक्त कार्यो हेतु अलग से स्टॉक रजिस्टर खोला गया जो दिनांक 02.04.18 से संधारित किया गया तथा इसमें 05 वस्तुओं की स्टॉक एण्ट्री की गयी, इसके अतिरिक्त आदिनांक तक कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गयी।

(6) उक्त कार्यो के लिए डिस्पेच नम्बर जारी करने के लिए दिनांक 02.04.18 से अतिरिक्त डिस्पेच रजिस्टर खोला गया जिसमें क्रम सं. 01 दिनांक 03.04.18 एवं अंतिम क्रमांक 63/17.04.18 तक प्रविष्टि की गयी, उसके पश्चात आदिनांक तक कोई प्रविष्टि नहीं है।

(7) उक्त कार्यो के भुगतान हेतु बनावटी/जाली बिलों का प्रयोग किया गया। अंकेक्षण दल का ऐसा मानना है कि भुगतान हेतु प्रयोग में लिये गए बिल/वाऊचर जाली/बनावटी तरीके से तैयार किए गए है।

(8) प्रस्तुत वाउचर पत्रावली में वा.सं. 27,29,34,35,38 (कुल 05) जॉच दल को जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि गंभीर अनियमितता है। अतः पांच वाउचर आगामी जॉचदल को प्रस्तुत करावें।

(9) संस्था द्वारा निम्न भुगतान में रोकड पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि एवं वाउचर में लिखा गया विवरण में असमानता पायी गयी।

क्र. सं.	वा.नं./दिनांक	रोकडबही में दर्ज विवरण	वाउचर में लिखा गया विवरण
1	28/29.08.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449367	ट्रेक्टरों के टायर ट्यूब का भुगतान किया गया
2	30/29.08.18	अग्रिम राशि Ch.No. 449371	लोहे की ट्री गार्ड का भुगतान
3	31/30.08.18	सफाई कार्य हेतु अग्रिम Ch.No. 449372	लोहे की ट्री गार्ड का भुगतान
4	36/31.08.18	स्टेशनरी कार्य हेतु अग्रिम Ch.No. 449389	लोहे की ट्री गार्ड का भुगतान
5	37/06.09.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449390	हाथ गाडी के नये टायर खरीद
6	42/06.09.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449397	लोहे की ट्री गार्ड का भुगतान
7	43/07.09.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449399	हाथ गाडी के नये टायर क्रय किये गये
8	48/10.09.18	श्री भाटी को अग्रिम Ch.No. 449406	हाथ गाडी के नये टायर क्रय किये गये

(10) संस्था के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रत्येक भुगतान पर पत्रावली सभापति के समक्ष प्रस्तुत न की जाकर केवल सभापति के हस्ताक्षरों की प्रिन्टेड मोहर उपयोग में ली गई है। इससे भुगतान की कार्यवाही अनियमित है।

(11) वाऊचर.सं. 28,30,31,36 (कुल 04) में लेखाकार के हस्ताक्षर श्री हरीश कुमार एवं वाउचर संख्या 37 में श्री हरीश कुमार के हस्ताक्षरों में भिन्नता है तथा 2,22,89,713 रूपये के चैको को रोकड बही में इन्द्राज नहीं किया गया। चैक जारी तथा बैंक से आहरित होने के बावजूद भी कैश बुक में प्रविष्टि नहीं किया जाना गबन की श्रेणी में आता है।

उक्त अवधि 2018–19 के दौरान सामान्य रोकड बही के पृष्ठ सं. 49 दिनांक 31.08.2018 पर राशि रूपये 15000000 बी.आर.के.जी.बी. खाता सं. 44990100000576 से अमृत योजना रोकडबही के पृष्ठ सं. 49 दिनांक 30.08.2018 पर आय पक्ष में राशि रू. 1.50 करोड हस्तान्तरित होना अंकित पाया गया, चूंकि बी.आर.के.जी.बी. खाता सं. 44990100000576 से राशि 1.50 करोड आहरित की गई परन्तु अमृत योजना बही के खाते के बी.आर.के.जी.बी. के कॉलम में राशि प्राप्त होना दर्शाया गया तथा उक्त राशि अमृत रोकडबही के भुगतान पक्ष में दिनांक 30.08.18 करे पृष्ठ संख्या 49 पर फर्म एल एण्ड टी के नाम दर्ज की गई परन्तु कोई भुगतान पर वाउचर नं0 अंकित नहीं पाये गये ना ही कोई भुगतान से संबंधित चैक की जानकारी रोकड पुस्तिका में दर्शाई गई इस प्रकार जमा प्राप्ति/भुगतान पक्ष के लेन देन की पृवष्टि अनुचित पाई गई इस प्रकार रोकड बही से अमृत रोकडबही में राशि 1.50 करोड अंकित/हस्तान्तरित कर गबन किया जाना मानते हुये जांच दल द्वारा दिनांक 23.06.21 को ऑडिट रिपोर्ट अतिरिक्त निदेशक जयपुर द्वितीय को कराई गई, जिसके अवलोकन उपरान्त गबन के पैसे से संबंधित दस्तोवेजो की कमी होने के कारण उक्त जांच दल संख्या 6 द्वारा कार्यालय आदेश 1620/19.07.21 की पालना में दिनांक 24.07.21 को नगर परिषद भिवाडी पहूंच कर 1.50 करोड गबन से संबंधित ऑडिट पैरा तृतीय से संबंधित चैक संख्या 145183/31.08.18 राशि 1.50 करोड "पे एल एण्ड टी आई सी सीकर–अलवर कलेक्शन एकाउन्ट" की छाया प्रति एवं नवें रनिंग बिल रेफरेंस एग्रीमेन्ट 2122/10.05.16 जिसमें एल एण्ड टी को राशि 69409664/– का नाम अंकित था, नगर परिषद द्वारा जांच दल को उपलब्ध कराये गये जिस पर जांच दल द्वारा राशि 1.50 करोड का भुगतान एल एण्ड टी फर्म को दिया जाना मानते हुये उक्त गबन हेतु गठित अनुच्छेद तृतीय को हटा दिया है।

अनुच्छेद चार–रिकार्ड से आलोच्य अवधि 2018–20 में रसीदो/चालानो के माध्यम से प्राप्त राशि का रोकडबही में इन्द्राज नहीं किया जाने पर 201551 रूपये राजकीय राशि का किया गया है।

अनुच्छेद पांच–रिकार्ड से आलोच्य अवधि 2018 की सामान्य रोकड पुस्तिका के नगद कॉलम का अन्तिम शेष दिनांक 09.10.18 को नई रोकड पुस्तिका दिनांक 31.10.18 को खोलने पर प्रारम्भिक के रूप में नही लेने पर राशि 20155 रूपये का गबन किया है।।

इस प्रकार जांच दल संख्या 6 द्वारा 1.50 करोड की राशि का मुताबिक रिकॉर्ड भुगतान सही मानते हुये 5,99,43,010 रूपये का गबन किया माना है और उक्त गबन की राशि की ब्याज सहित वसूली जांच अवधि में नगर परिषद भिवाडी के अधिकारी/कर्मचारी श्री राघव सिंह आयुक्त, श्री सवाई सिंह भाटी व अन्य से की जाकर एवं उनके विरूद्ध अनुशात्मक कार्यवाही की जाकर अंकेक्षण विभाग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा जांच दल द्वारा बाद जांच नगर परिषद भिवाडी की लेखा प्रणाली सही नही पाई गई तथा अभिलेखो तथा रोकड पुस्तिका की जांच में आहरित चैको की राशि का इन्द्राज नहीं करना जाली/अप्रमाणित वाउचरों पर अनियमित भुगतान करना रसीदो/चालानों से प्राप्त राशि का इन्द्राज नहीं करना अत्यधिक राशि का अग्रिम देना, भारी गबन होना, पारित बिलो पर हस्ताक्षरों का भिन्न होना पाया गया।

जांच से पाया गया है कि कार्यालय आयुक्त नगर परिषद भिवाडी के अवधि 04/2018 से 03/2021 तक के लेखों की नमूना लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां एव सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा द्वितीय) राजस्थान जयपुर के निरीक्षण दल संख्या तीन के श्री

मुन्नालाल रेगर व श्री राजेश कुमार मीणा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा 27.10.21 से 18.11.21 तक की गई तथा लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण श्री आरपी मीणा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा किया गया जिन्होने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 02 में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान नगरपालिका नियम 1963 की अवहेलना कर गबन तथा अन्य गम्भीर अनियमितता किया जाना पाया गया।

कार्यालय नगर परिषद् भिवाडी की लेखावधि तक के माह वार विवरण के अनुसार अधिकतम व्यय के आधार पर चयनित माह अगस्त के सम्पूर्ण बिल/वाउचर एवं कार्यपत्रावलियों तथा भुगतान की पत्रावलियों की समीक्षा में गंभीर अनियमितताए पायी गयी जो निम्नानुसार हैः–

(1) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2012 के नियम 11(6) के अनुसार उपापन संस्था के द्वारा बोली लगाने वाली फर्म की सत्य निष्ठा की जॉच की जायेगी। रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि तत्कालीन रोकडपाल श्री सवाई सिंह भाटी नगर परिषद भिवाडी द्वारा प्रिंट एफ.वी.सी. वाउचर की जगह बाजार से प्रिंटेड वाउचरों पर बनावटी या जाली बिलो का प्रयोग कर राशी का गबन किया गया है तत्कालीन रोकडपाल सवाई सिंह भाटी द्वारा फर्मो को जारी कार्यादेशों में आयुक्त के हस्ताक्षर व मोहर फोटो स्टेट की तरह किए गये है। सफाई के कार्य के ठेके, ए–4 एवम् लीगल साईज की रिम एवं अन्य प्रकार के कार्यो के संवेदकों को किए भुगतान के साथ संलग्न फर्मो के बिलो में अंकित टिन. नम्बर एवम् जी.एस.टी. नंबर जो कि नगर परिषद भिवाडी के द्वारा भुगतान की गई फर्मो के न होकर अन्य फर्मो के पाये गये है अर्थात इनवॉइस में अंकित टिन नंबर/जी.एस.टी. नंबर बोगस पाये गये है तथा फर्मो के स्थाई पते भी सही नही पाये गये अर्थात फर्मो के बिल जो कि एक कूट नीति से या फर्जी तरह से बनाये गये थे जिससे नगर परिषद भिवाडी के द्वारा बिना अस्तित्व की फर्मो को भुगतान कर राजस्व की हानि गबन राशि रूपये 3,32,01,657/–का किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

फर्म का नाम	टिन नं. /जीएसटी नं.	कार्यादेश /दि.	वाउचर नं./दि.	बिल नं. /दि.	सामग्री का विवरण	चैक नं. /दि.	राशि	वास्तविक फर्म अस्तित्व में नहीं एवं टिन/जीएसटी नं. से अन्य फर्म रजिस्टर्ड है।
मैसर्स रवि कुमार इन्टरप्राइजेज	08171768187	16/ 13.04.18	49/ 13.03.18	18/ 18.05.18	सफाई का ठेका	4494051 2.09.18	2495500	एम आर इन्टर प्राइजेज इन्जिनियरिंग
मैसर्स प्रीतम कुमार एण्ड सन्स जयपुर	08902251670	17/ 13.04.18	44/ 07.09.18	03/ 18.05.18	वर्षा ऋतु पर सफाई ठेका जोन सं. 7 पर लेवर सप्लाई	449402 11.09.18	2511050	श्रीनाथ ट्रेडर्स जयपुर
मैसर्स मुकेश लखन इन्टरप्राइजेज	एससीए/2016/14/990438	15/ 13.04.18	45/ 10.09.18	00/ 18.05.18	वर्षा ऋतु पर सफाई ठेका जोन सं. 15 पर लेवर सप्लाई	449403 / 12.09.18	1520000	फर्म अस्तित्व में ही नहीं है।
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	14/ 13.04.18	50/ 28.09.18	15/ 18.05.18	वर्षा ऋतु पर सफाई ठेका जोन सं. 04 पर लेवर सप्लाई	449415 /	575000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	65/ 20.08.18	42/ 06.09.18	21/ 05.09.18	लोहे की टी गार्ड के बिल का भुगतान	449397 / 07.09'.18	85000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड

					हेतु			सप्लायर जयपुर
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	72/ 06.09.18	43/ 07.09.18	22/ 05.09.18	हाथ गाडी मय टायर को भुगतान हेतु	449399 / 11.09.18	90000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	73/ 10.09.18	48/ 10.09.18	23/ 10.09.18	हाथ गाडी मय टायर को भुगतान हेतु	449406 / 18.09.18	75000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	14/ 13.04.18	39/ 06.09.18	31/ 06.09.18	हाथ गाडी मय टायर को भुगतान हेतु	449393	1975000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	67/ 06.09.18	37/ 06.09.18	20/ 05.09.18	हाथ गाडी मय टायर को भुगतान हेतु	449390 / 06.10.18	75000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	63/ 06.09.18	28/ 29.08.18	17/ 28.08.18	लोहे की टी गार्ड के बिल का भुगातन हेतु	449371 / 04.10.18	95000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	62/ 17.08.18	30/ 29.08.18	17/ 28.08.18	लोहे की टी गार्ड के बिल का भुगातन हेतु	449367 17.10.18	1,90,000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राइजेज	08615950003	64/ 20.08.18	31/ 31.08.18	18/ 28.08.18	लोहे की टी गार्ड के बिल का भुगातन हेतु	449367 17.10.18	65,000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
रोहित बुक डिपो	085304056510	12/ 09.04.18	31/ 30.08.18	12/ 08.05.18	ए–4 एवं लीगल साईज की रिम	449375 17.10.18	1950000	विनायक बिजनेस जयपुर
मैसर्स रिचा शर्मा एन्टरप्राईजेज	08521601397	18/ 13.04.18	33/ 30.08.18	18/ 28.08.18	वर्षा ऋतु पर सफाई ठेका जोन संख्या–9 पर लेबर सप्लाई		1910000	विजय श्री कैमिकल इन्डट्रीज जयपुर
मैसर्स अल्का जेदिया	8534056510	13/ 13.04.18	46/ 10.09.18	15/ 18.05.18	वर्षा ऋतु पर सफाई ठेका जोन संख्या–9 पर लेबर सप्लाई	449404 12.09.18	1450000	इक्कों ट्रेक इन्डस्ट्रीज जयपुर
मैसर्स आदित्य	08AWGPR 5561BIZ	4/ 05.04.18	41/ 10.09.18	001/ 18.05.18	वर्षा ऋतु पर सफाई ठेका	449403 12.09.18	2005000	फर्म पंजीकरण के

इन्डस्ट्रीज जयपुर					जोन संख्या–9 पर लेबर सप्लाई			समय अस्तिव में ही नहीं है
मैसर्स आदित्य इन्डस्ट्रीज जयपुर	08AWGPR 5561BIZ	4/ 05.04.18	40/ 06.09.18	005/ 28.05.18	वर्षा ऋतु पर सफाई ठेका जोन संख्या–15 पर लेबर सप्लाई	449394 12.09.18	8570107	फर्म पंजीकरण के समय अस्तिव में ही नहीं है
मैसर्स आदित्य इन्डस्ट्रीज जयपुर	08AWGPR 5561BIZ	11/ 05.04.18	49/ 06.09.18	005/ 28.05.18	उपरोक्त	449396 12.09.18	7500000	फर्म पंजीकरण के समय अस्तिव में ही नहीं है
मैसर्स विष्णु इन्टरप्राईजेज	08615610003	66/ 28.08.18	36/ 31.08.18	19/ 30.08.18	लोहे की टी गार्ड के बिल का भुगतान हेतु	449389 15.09.18	65000	सैगर कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर जयपुर
						योग–	3,3201657	

इस प्रकार सत्यनिष्ठा जांच किये बिना फर्म को भुगतान करने के संबंध में कार्यालय टिप्पणी से अवगत नहीं कराया गया। जबकि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के अध्याय–2 में वित्तीय प्रबन्ध एवं नियन्त्रण प्रणाली के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये है जिसमें पार्ट द्वितीय में धन का एवं भुगतान के लिए एंवम् पार्ट तृतीय में लेखो का संधारण के सम्बन्ध में कर्तव्य का उल्लेख और पार्ट–पंचम में दुर्विनियोग कपट व हानियों के बारे में उल्लेखित किया गया है। अध्याय–2 के नियम 16 में विभागीय अधिकारी का उत्तरा दायित्व सरकारी बकायों के संग्रह के लिए या सरकारी धनराशि को व्यय करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह देखना चाहिए कि उचित लेखे ऐसे प्रपत्रों में संधारित किए जाते है जो सरकार के उन सभी लेन देनो के लिए जिनमें उसका सम्बन्ध है निर्धारित किये गये हो तथा समस्त लेखे इस प्रकार से रखे जाए तथा विस्तृत विवरण इस तरह से अभिलिखत किए जाए तथा भुगतानो का माप एवं सामान्य रूप में लेन देनो का प्रारम्भिक अभिलेख इतना साफ, स्पष्ट एवं स्पष्टात्मक हो कि जहॉं भी आवश्यकता हो उसे तथ्यों के संतोषजनक, विश्वनीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। परिशिष्ट–3 के नियम 7 दुर्विनियोग, कापट(फ्राड) एवं हानियों के मामले में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है (क) जब भी दुर्विनियोग, कापट(फ्राड) एवं हानिया आदि का मामला पाया जाए या इसकी सूचना प्राप्त हो मामले की रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब के प्रशासनिक विभाग(निदेशक, निरीक्षण विभाग) राजस्थान वित्त विभाग एवं महालेखाकार महोदय को दी जायेगी। मामले की सूचना विभागों में पदस्थापित वित्तिय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी या लेखाधिकारी को तथा जिले के पुलिस अधीक्षक को भी दी जायेगी।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 76 के अनुसार बिलो पर हस्ताक्षर जब किसी विनिर्दिष्ट कार्यालयों के मामले में सरकार के अभिव्यक्त रूप में नहीं किया गया हो, बिल का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा। जब तक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर न किए हो। किसी चिन्ह मार्क मोहर से किये गये हस्ताक्षरों वाले बिलो को स्वीकार नहीं किया जायेगा। राजस्थान नगरपालिका नियम 1963 के नियम 13 (गबन)–जब भी नगर निगम की निधि या सम्पति के गबन का पता चलता है एक बार मे बोर्ड द्वारा प्राधिकृत समिति या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी और तथ्य की सूचना तत्काल उक्त समिति या अधिकारी द्वारा बोर्ड नियंत्रक प्राधिकारी, स्थानीय निकायो के निदेशक या सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी को दी जायेगी और नुकसान की वसूली व सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी

जिसमें नुकसान, गबन को किस तरह प्रभावित किया गया था और गबन के मामलो के संबंध में राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना करनी होगी।

राजस्थान नगरपालिका नियम 1963 के नियम 72 (भुगतान आदेश) (1) धन के दावे के रूप में प्रस्तुत बिल या अन्य वाउचर प्राप्त और कार्यकारी अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी और यदि दावा स्वीकार्य है और सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया है तो वह वाउचर में भुगतान के लिए आदेश देगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। भुगतान आदेश देने वाला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है कि वाउचर पूरा हो गया और भुगतान प्रकृति के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा। राजस्थान नगरपालिका नियम 1963 के नियम 72 (भुगतान आदेश) (2) भुगतान करने के आदेश वाउचर पर दर्ज किये जाने और पारित होने के बाद ही वास्तविक भुगतानकर्ता के नाम से एक चैक तैयार करेगा और उसकी प्रविष्टि सामान्य केश बुक (फार्म 34) में किया जायेगा।

राजस्थान नगरपालिका नियम 1963 के नियम 78 के उपनियम (5) भुगतान के संबंध में सेवाओ व आपूर्ति के लिए लेखा कार्यकारी अधिकारी द्वारा भुगतान के लिए आयोजित के पहचान के बारे मे खुद को संतुष्ट करने के लिए विशेष सावधानियों का उपयोग करेगा।

राजस्थान नगरपालिका नियम 1963 के नियम 73 भुगतान का तरीका रू. 25/–से कम राशि को छोडकर सभी भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा।

राजस्थान नगरपालिका नियम 1963 के नियम 78 के अनुसार सामान्य कैशबुक का रखरखाव तुलना और समापन (1) सामान्य कैश बुक फार्म नं. 34 का दैनिक रूप से बंद और संतुलित किया जायेगा और कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रत्येक महीने के अन्त में कैश बुक फार्म नं. 34 में दर्ज प्राप्तियों और व्यय की तुलना पास बुक के साथ आइटम वाईज की जायेगी। तथा शेष राशि का विवरण फुट नोट पर लिखा जायेगा (2) कैश बुक मे दिखाये गये वास्तविक नकद शेष राशि राशि को बोर्ड द्वारा सभापति और कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनियमित अन्तराल पर सत्यापित किया जाना चाहिए और उसके द्वारा आशय का दिनांक प्रमाण पत्र पर दर्ज कर किया जाना चाहिए। इस प्रकार कार्यालयध्यक्ष तत्कालीन आयुक्त श्री राघव सिंह मीणा एवं तत्कालीन सभापति श्री संदीप दायमा एवं रोकडपाल सवाईसिंह भाटी द्वारा नियमों की अवहेलना कर राजकीय राशि 3,32,01,657/–रूपये का गबन किया गया है, उक्त गबन में आईसीआईसीआई बैक भिवाडी के अधिकारी/कर्मचारी की भी मिलीभगती होना प्रमाणित होता है।

अनुच्छेद संख्या–2(2अ)–कार्यालय नगर परिषद भिवाडी की रोकड बही एवं प्राप्ती रसीदों की लेखा अवधि 2018–21 की जांच से पाया गया है कि कार्यालय के द्वारा रसीदों से प्राप्त राशि का रोकड पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्न है:–

क्रम सं	रसीदें एवं चालान सं.	दिनांक	राशि
01	65/81	20.10.2018	10,000
02	65/82	20.10.2018	92
03	17/12	20.10.2018	1540
04	27/13	20.10.2018	3036
05	18/10	20.10.2018	1,86,843
		योग	201551

इस प्रकार रसीदो से प्राप्त राशि 201551 का रोकड पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया जाकर उक्त राशि का गबन किया गया है। जबकि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग प्रथम के नियम 48 के उपनियम(5) अनुसार कार्यालय में प्राप्त की गई राशि कोषागार नियमों के अनुसार विहित अवधि में तुरन्त जमा कराई जाती है जब सरकारी कर्मचारी की अभिरक्षा में की गई सरकारी

धनराशि का बैंक या कोषागार में भुगतान किया जाता है तो ऐसा भुगतान करने वाला कार्यालयध्यक्ष चालान पर कोषाधिकारी की या बैंक का रसीद से रोकड पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों का मिलान करेगा तथा उसके बाद उसे अनुप्रमाणित करने से पहले इससे अपना समाधान करेगा कि राशि वास्तव में कोषागार या बैंक में जमा करा दी गई है। इस प्रकार कार्यालयध्यक्ष आयुक्त श्री राघव सिंह मीणा एवं रोकडपाल सवाईसिंह भाटी द्वारा नियमों की अवहेलना कर राजकीय राशि का गबन किया गया है।

अनुच्छेद संख्या– 2(2ब)–राशि रूपये 2,20,71,654/– बैंक से आहरित की गई परन्तु राशि को रोकड बही में दर्ज नहीं किया गयाः–कार्यालय नगर परिषद भिवाडी से प्राप्त रिकार्ड रोकड बही एवं बैंक स्टेटमेंट की जांच से पाया गया है राशि जो कि बैंक से आहरित तो की गई है किन्तु उक्त राशि को रोकड बही में इन्द्राज नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्न हैः–

क्रम सं.	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	चैक नम्बर दिनांक	राशि
1	आई सीआईसीआई खाता सं. 674201701195	02.11.208	2,32,000
2	आई सीआईसीआई खाता सं. 674201701195	05.11.2018	3,72,000
3	सैन्ट्रल बैंक खाता सं3701163060	28001/18.9.18	43,982
4	बीआरकेजीबी खाता सं. 44990100000576	145191/10.9.18	11812
5	बीआरकेजीबी खाता सं. 44990100000576	145185/01.9.18	45000
6	बीआरकेजीबी खाता सं. 44990100000576	145303/15.9.18	167648
7	बीआरकेजीबी खाता सं. 44990100000576	145305/15.09.18	95969
8	बीआरकेजीबी खाता सं. 44990100000576	145194/27.09.18	9935
9	बीआरकेजीबी खाता सं. 44990100000576	145304/28.09.18	145046
10	बीआरकेजीबी खाता सं. 44990100000576	145268/17.10.18	81110
11	बीआरकेजीबी खाता सं. 44990100000576	145269/10.09.18	11723
12	पीडी खाता संख्या– 181	20/22.05.18	10,000
13	पीडी खाता संख्या– 181	21/22.05.18	10,000
14	पीडी खाता संख्या– 181	22/22.05.18	10,000
15	पीडी खाता संख्या– 181	23/22.05.18	10,000
16	पीडी खाता संख्या– 181	24/22.05.18	10,000
17	पीडी खाता संख्या– 181	25/22.05.18	10,000
18	पीडी खाता संख्या– 181	26/22.05.18	10,000
19	पीडी खाता संख्या– 181	27/22.05.18	10,000
20	पीडी खाता संख्या– 181	28/22.05.18	10,000
21	पीडी खाता संख्या– 181	29/22.05.18	33571
22	पीडी खाता संख्या– 181	30/22.05.18	3167
23	पीडी खाता संख्या– 181	31/22.05.18	14174
24	पीडी खाता संख्या– 181	32/13.06.18	74104
25	पीडी खाता संख्या– 181	33/13.06.18	46521
26	पीडी खाता संख्या– 181	34/22.05.18	37786
27	पीडी खाता संख्या– 181	38/20.06.18	1526434
28	पीडी खाता संख्या– 181	40/20.06.16	3872811
29	पीडी खाता संख्या– 181	41/20.06.18	3985026
30	पीडी खाता संख्या– 181	42/20.06.18	1689654
31	पीडी खाता संख्या– 181	43/20.06.18	989896
32	पीडी खाता संख्या– 181	44/05.07.18	804897
33	पीडी खाता संख्या– 181	45/06.07.18	104777

34	पीडी खाता संख्या– 181	46/31.07.18	82151
35	पीडी खाता संख्या– 181	47/31.07.18	2636607
36	पीडी खाता संख्या– 181	48/31.07.18	1808462
37	पीडी खाता संख्या– 181	49/31.07.18	1225426
38	पीडी खाता संख्या– 181	50/31.07.18	430168
39	पीडी खाता संख्या– 181	51/01.08.18	896329
40	पीडी खाता संख्या– 181	52/01.08.18	467843
41	पीडी खाता संख्या– 181	53/01.08.18	35625
		योग	2,20,71,654

इस प्रकार राशि 2,20,71,654/–बैंक से आहरित की गयी है परन्तु उक्त राशि को रोकड बही में दर्ज नही किया गया है–जबकि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग प्रथम के नियम 48 के एवं राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम 1963 के नियम 78 के तहत प्रत्येक महीने के अन्त में कैश बुक फार्म नं. 34 में दर्ज प्राप्तियों और व्यय की तुलना पासबुक के साथ आईटम वाईज की जानी थी जो नहीं की गई। जिसके लिये श्री संदीप दायमा, तत्कालीन सभापति एवं श्री राघव सिंह मीणा, तत्कालीन आयुक्त तथा सवाईसिंह भाटी, रोकडपाल जिम्मेदार है।

अनुच्छेद संख्या–2(2स) रोकड पुस्तिका में इनद्राज बाउचरों को उपलब्ध नहीं कराने का अभाव राशि 42,29,934/–रू.। चयनित माह अगस्त 2018 की रोकड पुस्तिका की जांच से पाया गया है कि रोकडबही में फर्मो से बिना वाउचर प्राप्त किये राशि 4229934 रूपये का नियम विरूद्ध भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न है:–

फर्म का नाम	बाउचर/दिनांक	बिल नम्बर/दिनांक	कार्य का विवरण	चैक नम्बर/दिनांक	राशि	कैश बुक पेज नम्बर
विकास दायमा कॉन्ट्रेक्टर	27/24.08.18	बिल उपलब्ध नहीं	जेसीबी का किराया	449364/ 31.08.18	91600	059
मैसर्स सोना एन्टरप्राईजेज जयपुर	34/31.08.18	उपरोक्त	सफाई कार्य भुगतान	449386/ 06.09.18	1251254	063
अंकुर इलैक्ट्रोनिक भिवाडी	35/31.08.18	उपरोक्त	कार्य का विवरण दर्ज नहीं किया गया	449387/ 07.09.18	388080	063
मैसर्स जाहर इन्टरप्राईजेज	38/31.08.18	बिल उपलब्ध नहीं	सफाई कार्य का भुगतान	449392/ 12.10.2018	2499000	064
				योग:–	42,29,934	

इस प्रकार फर्मो से बिना वाउचर प्राप्त किये राशि 42,29,934/– रूपये का नियम विरूद्ध भुगतान किया गया है जिसके लिये कार्यालयाध्यक्ष श्री राधव सिंह मीणा आयुक्त व रोकडपाल श्री सवाई सिंह भाटी जिम्मेदार है।

अनुच्छेद–2(3)–कार्यालाध्यक्ष एवं रोकडपाल के द्वारा सामान्य एवं वित्तीय लेखा एवं राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम 1963 के नियमों की अवहेलना कर नगर परिषद भिवाडी को राशि 12,50,000/–रूपये की हांनि पहुचाये जाने का प्रयास करना। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड की जांच से पाया गया है कि नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर के आदेश कमांक 8503/05.10.2018 अनुसार कार्मिकों का कार्य विभाजन किया गया जिसमें उक्त आदेश अनुसार पूर्व कैशियर श्री सवाईसिंह भाटी को कैश चार्ज से अन्य कार्य दिया गया, कार्यालय पत्रांक 4919/20.12.2018 नगर परिषद के एक्सीस बैक शाखा भिवाडी के बचत खाता सं. –9120100842858179 की नई चैक बुक के लिये दिनांक 24.12.2018 को श्री विष्णुकुमार को सरकारी कर्मचारी बताकर नई चैक बुक मंगवाई गई जबकि श्री विष्णुकुमार कार्यालय में पदस्थापित नहीं था। सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम एवं राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम 1963 में चैक बुक को संघारण करने के दिशा निर्देश जारी किये गये है जिसमें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम 100 के अनुसार चैक बुक की रक्षा करने हेतु डी0डी0ओ0 द्वारा ताले में चैक बुक रखनी होगी। इस प्रकार कार्यालयध्यक्ष द्वारा उक्त नियमों की अवहेलना की गई है।

अनुच्छेद–2(6 प्रथम)–अन्य अनियमितताऐं–नगर परिषद भिवाडी से प्राप्त रिकार्ड की जांच से पाया गया है कि नगर परिषद भिवाडी कार्यालय के आदेश कमांक 8503/05.10.2018 के द्वारा कार्मिकों और अधिकारियों का कार्य विभागजन किया गया जिसके तहत तत्कालीन कैशियर श्री सवाई सिंह भाटी को चार्ज हस्तान्तरण के लिये पत्र कमांक 8563/12.10.2018 एवं 8614–15 दिनांक 22.10.2018 को कैश चार्ज एवं उसके द्वारा अन्य संघारित रिकार्ड हस्तान्तरित के लिये लिखा गया किन्तु उसके द्वारा दिनांक 31.10.2018 तक हस्तान्तरण नहीं किया गया, आयुक्त नगर परिषद भिवाडी के कार्य आदेश कमांक 8671 दिनांक 31.10.2018 के द्वारा नई कैश बुक व बाउचर रजिस्टर जारी किया गया तथा नई कैश बुक का संघारण दिनांक 31.10.2018 से किया गया। तत्कालीन कैशियर श्री सवाईसिंह भाटी के द्वारा चार्ज हस्तान्तरण नहीं किये जाने एवं अन्तिम शेष नहीं सम्भलाने के कारण नई कैश बुक में प्रारम्भिक नकद शेष शून्य लिया गया जबकि दिनांक 09.10.2018 को रोकड लिखने तक तथा नकद शेष का अन्तिम शेष राशि रूपये 20155 दर्शाया गया था। कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार श्री सवाई सिंह भाटी को कैश चार्ज एवं उसके द्वारा अन्य संघारित रिकार्ड हस्तान्तरण नहीं किये जाने पर कार्यवाही की जानी चाहिये थी और श्री भाटी से कैश बुक में नकद राशि 20155 रूपये ली जानी चाहिये थी, जो नहीं ली गई। कार्यालयाध्यक्ष श्री राघव सिंह मीणा आयुक्त के द्वारा सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम के नियमों की अवहेलना की गई है।

2–जांच से पाया गया है कि नगर पालिका भिवाडी द्वारा सीमित निविदा की गई जबकि नियमानुसार राजस्थान लोक पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 के अनुसार सीमित निविदा की विषय वस्तु प्राख्लिखित लागत मूल्य एक बार में दो लाख व वर्ष में दस लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2012 के धारा 05 के अनुसार उपापन की आवश्यकता की अवधारणा नहीं की गई जबकि संस्था के द्वारा स्टेशनरी कय, लेवर सप्लाई एवं कचरा पात्र तथा वर्षा ऋतु में सफाई की सामग्री इत्यादि के कार्य किये गये जो कि संस्था के बिना आवश्यकता के किये गये है तथा धारा 29 की उपधारा 4 के अधीन खुली प्रतियोगिता से भिन्न किसी उपापन पद्धति का चुनाव किया जाता है तो उसका कारण देना होता है किन्तु ऐसा कोई रिकार्ड संघारण नहीं किया जाना पाया गया तथा टेण्डर प्रकिया प्रारम्भ किये जाने से भुगतान के आदेश दिये जाने तक की कार्यवाही नोटशीट में सभापति के हस्ताक्षर की जगह सभापति की हस्ताक्षर युक्त रवर मौहर का इस्तेमाल किया गया है तथा नोटशीट पर टेण्डर प्रकिया प्रारम्भ किये जाने व भुगतान किये जाने तक की कार्यवाही पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर मय दिनांक अंकित नहीं है जिससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त कार्यवाही कब कब किस किस दिनांक में की गई इस प्रकार उक्त कार्यवाही नियम विरूद्ध एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर की हुई होना जांच से प्रतीत है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार

(1)–श्री संदीप दायमा सभापति नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर के विरूद्ध सफाई के कार्य के ठेके, ए–4 एवम् लीगल साईज की रिम एवं अन्य प्रकार के कार्यो के फर्मो को किए गये भुगतान के साथ संलग्न फर्मो के बिलो में अंकित टिन. नम्बर एवम् जी.एस.टी. नंबर जो कि नगर परिषद भिवाडी के द्वारा भुगतान की गई फर्मो के न होकर अन्य फर्मो के होने अर्थात इनवॉइस में अंकित टिन नंबर/जी.एस.टी. नंबर बोगस होने तथा फर्मो के स्थाई पते भी सही नही होने अर्थात फर्मो के बिल जो कि एक कूट नीति से या फर्जी तरह से बनाये हुये होने तथा फर्मो का अस्तित्व में न होने के बाबजूद भी बिना टेण्डर प्रकिया अपनाये भुगतान कर राजस्व की हानि गबन राशि रूपये 3,32,01,657/–का भुगतान जरिये चैक सभापति एवं आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया गया है। चूंकि सभापति द्वारा ही किसी टेन्डर या अन्य सामान की खरीद पर नोटशीट व चैकबुक दोनो पर सभापति के हस्ताक्षर होते है। बैंक में जो भुगतान फर्मो को किया गया। उन सभी चैक पर श्री संदीप दायमा, तत्कालीन सभापति एवं श्री राघव सिंह मीणा, तत्कालीन आयुक्त के हस्ताक्षर है। जिससे उक्त गबन एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत किया गया है, जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या तत्कालीन सभापति व तत्कालीन आयुक्त हस्ताक्षर कर्ता जिम्मेदार है, जो कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है।

(2)–श्री राघव सिंह मीणा तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर के विरूद्ध सफाई के कार्य के ठेके, ए–4 एवम् लीगल साईज की रिम एवं अन्य प्रकार के कार्यो के फर्मो को किए गये भुगतान के साथ संलग्न फर्मो के बिलो में अंकित टिन. नम्बर एवम् जी. एस.टी. नंबर जो कि नगर परिषद भिवाडी के द्वारा भुगतान की गई फर्मो के न होकर अन्य फर्मो के होने अर्थात इनवॉइस में अंकित टिन नंबर/जी.एस.टी. नंबर बोगस होने तथा फर्मो के स्थाई पते भी सही नही होने अर्थात फर्मो के बिल जो कि एक कूट नीति से या फर्जी तरह से बनाये हुये होने तथा फर्मो का अस्तित्व में न होने के बाबजूद भी बिना कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सामग्री/सेवाओं का फर्जी तरीके से उपापन कर भुगतान कर राजस्व की हानि गबन राशि रूपये 3,32,01,657/–का जरिये चैक सभापति एवं आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया गया है, तथा बाहैसियत कार्यालयध्यक्ष होते हुये नियमों की अवहेलना कर रोकडबही का समुचित संधारण नहीं किया गया/करवाया गया तथा बैक से आहरित की गई राशि का रोकड बही में इन्द्राज नही करवाया गया, जबकि रोकडबही को प्रतिदिन चैक करने एवं आय व्यय पर हस्ताक्षर करने का नियमों अनुसार दायित्व था को नजर अंदाज किया गया जिससे नगर परिषद को रोकडबही में इन्द्राज नहीं होने से 2,20,71,654 व 201551, एवं नकद राशि नहीं संम्भलाने से 20155 एवं फर्मो के बिना बाउचरों से भुगतन करने पर 42,29,934 कुल 2,65,23,294/–रू. का भुगतान किया जाकर राशि 3,32,01,657+ 2,65,23,294 कुल 5,97,24,951 का गबन किये जाने का आरोप प्रमाणित है।

(3)–श्री सवाई सिंह भाटी तत्कालीन कनिष्ठ सहायक कैशियर रोकडपाल नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर के विरूद्ध राशि 5,97,24,951/–रूपये के गबन किये जाने से संबंधित कूटरचित दस्तावेज यथा नोटशीट, बिल बाउचर इनके द्वारा स्वयं के हस्तलेख से तैयार किये जाने तथा फर्मो के अस्तित्व में नहीं होने पर भी उनके फर्जी बिल तैयार किये जाकर चैक के जरिये भुगतान प्राप्त कर राजकोष को नुकसान एवं स्वयं को लाभ पहुचाने एवं रोकडबही में राशि का इन्द्राज नहीं करने, नकद शेष राशि नहीं सम्भलाने से संबंधित सम्पूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है तथा उक्त गबन किये जाने का आरोप प्रमाणित है। इस प्रकार सवाई सिंह भाटी, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, केशियर रोकडपाल नगर परिषद भिवाडी ने भी तत्कालीन सभापति व आयुक्त के सुनियोजित षडयंत्र में शामिल होकर अपराध को पूर्ण कारित करने में फर्जी दस्तावेजात तैयार किये है जो कृत्य आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार नगर पालिका भिवाडी जिला अलवर द्वारा सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों का उल्लंघन कर वर्ष 2018–19 में सफाई कार्य के ठेके, ए–4 एवं लीगल साईज रिम एवं अन्य प्रकार के कार्यो के संवेदकों को किये गये भुगतान के साथ सलंग्न फर्मो के बिलों में अंकित टिन नम्बर एवं जीएसटी नम्बर उक्त फर्मो के न होकर अन्य फर्मो के

होने तथा भुगतान प्राप्त फर्मो के अस्तित्व में नहीं होने पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सामग्री/सेवाओं का फर्जी तरीके से उपापन कर बिना सामान आपूर्ति प्राप्त किये ही राशि 03,32,01,657/–रूपये का चैकों/सैल्फ चैकों के जरिये भुगतान कर एवं रोकडबही का समुचित संधारण नहीं कर रसीदों से प्राप्त राशि 201551/–रूपये का एवं बैंकों से आहरित की गई राशि 2,20,71,654/– रूपये का रोकडबही में इन्द्राज नहीं कर, एवं फर्मो से बिना बिल/बाउचर प्राप्त किये राशि 42,29,934/–रूपये का भुगतान कर एवं पूर्व की शेष नकद राशि 20155/–रूपये को नही सम्भला कर कुल राजकीय राशि 5,97,24,951/–रूपये का श्री संदीप दायमा, तत्कालीन सभापित नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर, श्री राघव सिंह मीणा तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर एवं श्री सवाई सिंह भाटी तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक/रोकडपाल नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर द्वारा बाहैसियत लोक सेवक होते हुये अपने अपने पद का दुरूपयोग कर एवं आपसी मिली भगत करते हुये राज्य सरकार/नगर परिषद कोश को हानि एवं स्वयं को लाभ प्राप्त किया जाना पाया गया है। बैंको से मूल चैक मांगने पर उनके द्वारा मूल चैक उपलब्ध नहीं करवाये गये जिससे बैंक के अधिकारी/कर्मचारियों कि भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। उक्त तथ्य की अनुसंधान से आपराधिक कृत्य में संलिप्तता के बारे में स्थिति स्पष्ट की जावेगी।

इस प्रकार ऊपर उल्लेखित तथ्यों से आरोपीगणों का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (सी) (डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(क) सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा धारा 409,467,468, 471,477ए व धारा 120 बी भा.दं. सं. की तारीफ में आना पाया जाता है। अतः आरोपीगण 1–श्री संदीप दायमा तत्कालीन सभापति, नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर, 2–श्री राघव सिंह मीणा तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद भिवाडी जिला अलवर, 3–श्री सवाई सिंह भाटी तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक/रोकडपाल नगर पालिका भिवाडी जिला अलवर एवं अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1) (सी) (डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(क) सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा धारा 409,467,468, 471,477ए व धारा 120 बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाड़ी, जिला खैरथल- तिजारा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म, अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 13 (1) (क) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 409, 467,468, 471, 477ए, व धारा 120बी भा.द.स. में अभियुक्तगण 1. श्री संदीप दायमा पुत्र श्री रतन सिंह गुर्जर निवासी गांव मिलकपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा तत्का0 सभापति, नगर परिषद भिवाडी 2. श्री राघव सिंह मीणा पुत्र तत्का0 आयुक्त, नगर परिषद भिवाडी जिला खैरथल तिजारा हाल अधिशाषी अधिकारी (तृतीय) हाल निदेशालय जयपुर 3. श्री सवाई सिंह भाटी तत्कालीन कैशियर (रोकडपाल) नगर परिषद भिवाडी जिला खैरथल तिजारा हाल एपीओ निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट 262/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार कता की गई।

29.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2875-78 दिनांक 29.09.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर।
2. निदेशक, एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग राज सरकार जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

29.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।